

न्यायालय :- फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

कमांक / 114 / स्टेनो / 2025

नर्मदापुरम, दिनांक-11.08.2025

॥ विविध-आदेश ॥

मैं, फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 212 एवं 450 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित न्यायालयों से सूची अनुसार प्रकरणों को प्रत्याहरित कर, विधिवत् जांच, विचारण एवं निराकरण हेतु निम्नलिखित न्यायालयों को अंतरित करता हूँ:-

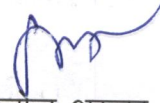
तहसील न्यायालय-इटारसी

क्र०	न्यायालय से	न्यायालय को अंतरित	प्रकरणों का प्रकार	प्रकरण कमांक
01	श्री सूर्यपाल सिंह राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी	श्रीमती आयुषी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी	आर.सी.टी	आर.सी.टी 240 / 25 म.प्र. शासन विरुद्ध प्रवीण सिंह

तहसील न्यायालय- पिपरिया

क्र०	न्यायालय से	न्यायालय को अंतरित	प्रकरणों का प्रकार	प्रकरण कमांक
02	श्री अखिलेश चाण्डक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया	श्री मनीष कुमार पारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया	रिमांड कार्यवाही पत्रावली व भविष्य की चालानी कार्यवाही	थाना पिपरिया का पंजीबद्ध अपराध कमांक 264 / 2025 अंतर्गत धारा 119(1), 125 व 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 25 व 27 आयुध अधिनियम से संबंधित प्रकरण शासन विरुद्ध रज्जू उर्फ राजेंद्र व अन्य की समस्त कार्यवाही (रिमांड कार्यवाही व भविष्य की संपूर्ण चालानी कार्यवाही)

03	श्री अखिलेश चाण्डक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया	श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया	आर.सी.टी.	आर.सी.टी. 175/2007 शासन विरुद्ध सुधीर व 01 अन्य
----	--	---	-----------	--


फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम म0प्र0

प्रतिलिपि—

1. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नर्मदापुरम की ओर सादर प्रेषित।
2. श्री सूर्यपाल सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी।
3. श्रीमती आयुषी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी।
4. श्री मनीष कुमार पारिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया।
5. श्री अखिलेश चाण्डक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया।
6. श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया।
7. अधिवक्ता संघ इटारसी एवं पिपरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम म0प्र0